समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

निविदा संख्या-03/2016-17

संभावित बाढ़ 2016 के मद्देनजर प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में होगी, तद्नुसार निम्न सामग्रियाँ जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा अलग-अलग सील बन्द तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

04. निविदादाता को मो0-10,000/-(दस हजार) रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जो जिलाधिकारी, मधेपुरा के नाम से विकलनीय होगा। बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ मूल में संलग्न किया जाएगा। दस हजार रूपये नगद भी स्वीकार किया जायगा, जिसका नाजीर रसीद देय होगा। निविदा प्राप्ति की तिथि 15.07.16 के अपराह्न 01:00 बजे तक होगी। प्राप्त तकनीकी निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदाताओं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

05. सामग्री का विवरण :-

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	साइज	अन्य विवरण	अभ्युक्ति
1	आटा	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
2	चूड़ा	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
3	चना देसी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
4	गुड़	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
5	मुढ़ी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
6	दाल अरहर, चना, मूँग, मसुर	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
7	सरसों तेल	उत्तम किस्म में	1.5 किलो ग्राम	
8	मशाला जीरा, हल्दी, पाउडर, गोल, मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म में	दर प्रति किलो ग्राम अलग-अलग में होगा।	
9	आलू /प्याज	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
10	सत्तु चना का	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
11	पावरोटी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
12	आयोडायड नम	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
13	चीनी	उत्तम किस्म में	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
14	दिया सलाई मझौला साईज	उत्तम किस्म में	दर प्रति पैकेट (12 की संख्या में)	
15	मोमबत्ती	लम्बाई 8.5", गोलाई 2.5"	दर प्रति पैकेट (06 की संख्या में)	
16	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट, चौड़ाई 1.5 फीट	दर प्रति नग /क्विंटल में अंकित होगा	

17	प्लास्टिक थैला	5 कि0 ग्राम एवं 2.5 कि0 ग्राम का (250 माइक्रेन का)	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
18	जलावन की लकड़ी		दर प्रति क्विंटल में अंकित होगा	
19	खाना बनाने का सभी प्रकार का बर्त्तन (भाड़े पर)		प्रति दिन	
20	खाना बनाने का गैस भट्‌टी /चुल्हा (भाड़े पर)		प्रति दिन	
21	जेनरेटर भाड़े पर		प्रति दिन	
22	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलने वाले लाइट		प्रति दिन	
23	वाटर प्रूफ टेंट /पंडाल (भाड़े पर)		प्रति दिन	
24	धोती		प्रति नग	
25	साड़ी		प्रति नग	
26	गंजी		प्रति नग	
27	लूंगी		प्रति नग	
28	गमछा		प्रति नग	
29	दरी		प्रति नग	
30	चटाई		प्रति नग	
31	कटोरा		प्रति नग	
32	ग्लास		प्रति नग	
33	मच्छरदानी (सिंगल एवं डबल बेड हेतु)		प्रति नग	

06. **निविदा की आवश्यक शर्त्ते :-**

i. निविदाताओं में से स्वीकृत निविदाताओं को इस आशय का एकरारनामा भरना होगा कि आपूर्ति आदेश के 24 घंटे के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवता एवं मात्रा के अनुसार समानों की आपूर्ति निश्चित रूप से देंगे एवं आवश्यकता अनुसार मधेपुरा जिला के 13 (तेरह) अंचल मुख्यालय तक पहुँचा देंगे। इसके लिए किसी परिवहन शुल्क या अन्य चार्ज देय नहीं होगा।

ii. आपूर्तिकर्त्ता बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निबंधित हो एवं उन्हें अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम अंतर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्य कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (PAN/TIN No.) हो कि छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

iii. निविदाताओं को इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि उनकी फर्म काली सूची में शामिल नहीं है।

iv. निविदा देने के पश्चात् निविदाताओं द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों हेतु वाणिज्य कर विभाग से निबंधित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में निविदा अवैध होगी।

v. निविदाताओं यदि बिहार प्रान्त के बाहर के हैं तो उनका कार्यालय या व्यापार बिहार प्रान्त के अंदर होना चाहिए।

vi. स्वीकृत की गई निविदाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।

vii. खाद्यान्न की शुद्धता एवं ताजगी अनिवार्य है। निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए, गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा।

viii. निविदा में सभी सामग्रियों का दर तथा सभी तरह के कर को अलग-अलग अंकित करते हुए कुल दर को स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।

ix. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेंगे ताकि उनकी गुणवता वजन आदि की जाँच की जा सके।

x. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

xi. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

xii. स्वीकृत निविदाताओं को छोड़कर शेष की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

xiii. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

xiv. स्वीकृत निविदाता के द्वारा स-समय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।

xv. कोई भी निविदा या दावा मधेपुरा जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा, विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा से सम्पर्क कर सकते हैं।

xvi. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार आवश्यक कर बी0एस0टी0 /टी0ओ0पी0/ अन्य कर देय होगा, जिसकी कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।

xvii. सामग्री के गुणवता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाताओं को अधिमानता दी जायेगी।

xviii. खाद्य सामग्री आपूर्तिकर्त्ता को फूड लाईसेन्स एक्ट से निबंधित होना चाहिए।

xix. विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी, मधेपुरा के वेबसाईट-http://madhepura.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

5/7/16

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक :......518..../ आ0प्र0, मधेपुरा दिनांक-........5...../.....7.../2016

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वे हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, सहरसा /सुपौल /खगड़िया /पूर्णियाँ /कटिहार /अररिया /दरभंगा /भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5/7/16

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।